समक्ष : शकुन्तला गौतम, राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष एस–9

अपील संख्या एस 09/ए/0634/2025

योगी एम0पी0 सिंह बनाम ज0सू0अ0 कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, वि0खं0–सीटी, जनपद मीरजापुर.

आदेश

कम्प्लेन्ट व अपील ट्रैकिंग सिस्टम(CATS) के माध्यम से पंजीकृत की गयी शिकायत प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील में दिनांक 15.09.2025 की सुनवाई हेतु अपीलार्थी को उनके ई–मेल पर दिनांक 10.09.2025 को नोटिस प्रेषित की गयी। आज पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत अपील में ऑनलाइन सुनवाई की गयी, जिसमें अपीलार्थी अनुपस्थित हैं तथा विपक्षी जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री तरूण कुमार भारतीय, ग्राम विकास अधिकारी, वि0खं0–सीटी, जनपद मीरजापुर उपस्थित हतुए।

उपस्थित विपक्षी द्वारा आयोग को संबोधित पत्रांक–1932/दिनांक 11.09.2025 के माध्यम से अभिकथन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को उसके सूचना आवेदन के कम में वांछित सूचना पत्रांक–1778/दिनांक 03.09.2025 द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी है, जिसकी प्रति आज सुनवाई के समय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.09.2025 को आयोग के ई–मेल पर प्रेषित पत्र के माध्यम से आपत्ति प्रेषित की गयी है। उपरोक्त आपत्ति उपस्थित विपक्षी पक्ष को प्राप्त करायी गयी।

उपरोक्त स्थिति में उपस्थित विपक्षी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियमों व प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को उसके आपत्ति का निस्तारण करते हुए निस्तारण आख्या नियत सुनवाई तिथि से पूर्व उपलब्ध करायी जाये तथा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी आपत्ति निस्तारण आख्या मय प्रेषण साक्ष्य के साथ नियत सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें।

अपीलार्थी को भी इस आशय की नोटिस प्रेषित की जाये कि वह उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 9(1) के तहत नियत सुनवाई तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 13.10.2025 को पेश हों।

15.09.2025

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, सीटी मीरजापुर।

पत्रांक 3211 / जन सूचना / 2025–26 दिनांक 06 अक्टूबर, 2025

श्री योगी एम0पी0 सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह
मो0नं0–7379105911
पता–सुरेखापुरम जबलपुर रोड़
सगमोहाल, मीरजापुर।

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ के केस संख्या–एस09 / A/0634/2025 पंजीकरण संख्या–ए–20250400904 के अनुक्रम में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप द्वारा कुल 06 बिन्दुओं की सूचना मांगी गयी है, जिसे इस कार्यालय पत्रांक 1778 दिनांक 03.09.2025 द्वारा संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया था, परन्तु आप द्वारा दिनांक 06.09.2025 को मा0 आयोग के ई–मेल पर पत्र प्रेषित कर आपत्ति लगायी गयी, जिसे मा0 आयोग द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो निम्नवत है –

बिन्दु संख्या–1 के क्रम में अवगत कराना है कि लोहदी नदी के जीर्णोद्धार के लिए कुल 11 ग्राम पंचायतों से अलग–अलग प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में कुल 1.04 करोड़ रूपये की स्वीकृति तत्कालीन श्री शरद कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी, सीटी मीरजापुर द्वारा की गयी है। नदी के जीर्णोद्धार से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूचना दी गयी है। आप द्वारा मांगा जा रहा विवरण मनगढंत एवं औचित्य पर प्रश्न है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 4(2)(ख)(तीन) व 4(2)(ख)(चार) के तहत निषिद्ध है।

बिन्दु संख्या–2 के क्रम में अवगत कराना है कि नदी के जीर्णोद्धार के लिए प्रपोजल संबंधित कुल 11 गाम पंचायत द्वारा दिया गया था जो निम्न हैं–बरकछा खुर्द, छीतपुर, नकहरा, सिरसी बघेल, सिरसी गहरवार, चन्दईपुर, लोहदीखुर्द, लोहदीकला, गोपालपुर, राजापुर एवं कंतित ग्रामीण जिसकी कुल लम्बाई 10.63 किमी है। उक्त सूचना कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दी गयी है, जिसे आपको पूर्व में उपलब्ध करा दी गयी है।

बिन्दु संख्या–3 के क्रम में अवगत कराना है कि नदी के जीर्णोद्धार के लिए तकनीकी सहायकों के नाम, पदनाम एवं ग्राम पंचायतों में कार्यकाल का विवरण निम्नवत है:–

क्र. सं.	नदी जीर्णोद्धार के ग्राम पंचायत का नाम	कार्यरत तकनीकी सहायक का नाम	अवधि	अन्य
1	बरकछा खुर्द	श्री कमलराज गिरि	दिनांक 19.06.2023 से 28.02.2025 तक	श्री अमर बहादूर सिहं, त0स0 दिनांक 01.03.2025 से अब तक
2	छीतपुर	श्री सुशील दूबे	दिनांक 19.06.2023 अब तक	–
4	नकहरा, लोहदीखुर्द, लोहदीकला, सिरसी बघेल, राजापुर, गोपालपुर	श्री कन्हैयालाल	दिनांक 19.06.2023 अब तक	–
5	सिरसी गहरवार	श्री शम्भूनाथ दूबे	दिनांक 19.06.2023 अब तक	–
6	चन्दईपुर	श्री बृजेश सिंह	दिनांक 19.06.2023 से 28.02.2025 तक	श्री अमर बहादूर सिहं, त0स0 दिनांक 01.03.2025 से अब तक
7	कंतित ग्रामीण	श्री त्रिलोकीनाथ	दिनांक 19.06.2023 अब तक	–

उक्त कार्य के तकनीकी नोडल अधिकारी श्री उपेन्द्रनाथ तिवारी, पदनाम–अवर अभियन्ता (ल0सिं0), कार्यकाल दिनांक 09.08.2019 से अभी तक इस विकास खण्ड में कार्यरत हैं।

बिन्दु संख्या–4 के क्रम में आप द्वारा मांगी गयी सूचना– नदी के जीर्णोद्धार में ग्राम पंचायत बरकछाखुर्द से चन्दईपुर तक कार्य कराया गया और नदी में जल का बहाव सुचारू रूप से हो रहा है तथा कोई भी पर्यावरण की समस्या नही हैं, और इन ग्रामों के बीच कोई फैक्ट्री नही लगी है। यह भी अवगत कराना है कि फैक्ट्रियों के नजदीक नदी के जीर्णोद्धार का कोई कार्य नही कराया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना काल्पनीक है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(2)(ख)(तीन) के तहत निषिद्ध है।

बिन्दु संख्या–5 के क्रम में अवतगत कराना है कि लोक प्राधिकारी द्वारा उसके अधीन सूचना ही उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, किसी अन्य कार्यालय की सूचना लेनी है तो वहाँ के लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या–6 के कम में अवगत कराना है कि nrega.dord.gov.in login पूरे देश में नरेगा से संबंधित सूचनाओं की वेबसाइट है, जिस पर आवेदक सूचना प्राप्त कर सकता है। पीआईओ के स्तर पर सूचना देने हेतु संसाधनों का अनुपातिक विचलन करना होगा, जो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(2)(ख)(5) एवं सी0बी0एस0सी0 बनाम आदित्य बन्दोपाध्याय 2011 में निर्णय के तहत निषिद्ध है।

(मुनीश कुमार सिंह)
खण्ड विकास अधिकारी,
सीटी–मीरजापुर।

पत्रांक /जन सूचना/2025–26 /दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मा0 राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना को रजिस्टर्ड डाक से उनके दिये गये उक्त पते पर प्रेषित कर दिया गया है। आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

2– जिला विकास अधिकारी, मीरजापुर।

खण्ड विकास अधिकारी,
सीटी–मीरजापुर।